



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1123/2008

**याचिकाकर्ता:**

आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आई.सी.आई.सी.आई. टावर्स, बांद्रा, कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई, द्वारा विधिक प्रबंधक, वी.आर. प्लाजा, बिलासपुर (छ.ग.)

**विरुद्ध**

**उत्तरवादीगण:**

1. गौरा सिंह निषाद, पिता श्री दुखू राम निषाद, आयु लगभग 45 वर्ष
2. हरपाल सिंह, पिता श्री गौरा सिंह निषाद, आयु लगभग 17 वर्ष, द्वारा उनके पिता श्री गौरा सिंह निषाद(नैसर्गिक संरक्षक होने के नाते)।
3. हेमंत कुमार, पिता श्री गौरा सिंह निषाद, आयु लगभग 24 वर्ष,

.....दावेदारगण

सभी निवासी ग्राम खैरी, पोस्ट गुरा, थाना भाटापारा ग्रामीण, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

4. सुंदरलाल सतनामी, पिता श्री शंकर सतनामी, आयु याचिकाकर्ता को ज्ञात नहीं,

निवासी ग्राम राजाधार, थाना भाटापारा ग्रामीण, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

.....वाहन स्वामी

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका

**उपस्थिति:**

श्री अमृतो दास, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।



**मौखिक आदेश**  
(दिनांक 22.02.2008)

**सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश**

ग्राह्यता पर प्रकरण सुना गया।

इस रिट याचिका द्वारा, अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, भाटापारा द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 24/2007 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2008 के उस अंश को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1123/2008 का लिखित कथन प्रस्तुत करने का अधिकार अधिकरण द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 1 पठित नियम 10 के अधीन कार्यवाही करते हुए समाप्त कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता एक बीमा कंपनी है जिसे दावेदारगण/उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 द्वारा यहाँ प्रस्तुत दावा याचिका में अनावेदक क्रमांक 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। दावा याचिका की सूचना बीमा कंपनी पर दिनांक 31.12.2007 को तामील की गई थी। बीमा कंपनी के अधिवक्ता दिनांक 04.01.2008 को उपस्थित हुए और लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की, जिस पर दिनांक 16.01.2008 की तिथि नियत की गई। दिनांक 16.01.2008 को, दावेदारगण द्वारा कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और बीमा कंपनी द्वारा पुनः समय मांगा गया जिसे दिनांक 30.01.2008 तक के लिए अनुदत्त किया गया। दिनांक 30.01.2008 को, पुनः वाहन के स्वामी अर्थात्



यहाँ उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा कतिपय दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और बीमा कंपनी ने लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए और समय की मांग की, परंतु इस बार अधिकरण ने समय देने से मना कर दिया और अंततः बीमा कंपनी का लिखित कथन प्रस्तुत करने का अधिकार समाप्त कर दिया और वाद-प्रश्न विरचित करने के पश्चात, प्रकरण दिनांक 02.02.2008 को निराकरण के लिए नियत कर दिया गया। यह बताया गया है कि अभी तक साक्ष्य नहीं लिए गए हैं और साक्ष्य की तिथि अब दिनांक 26.02.2008 नियत है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि दावा अधिकरण ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 1 पठित नियम 10 के उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन करने में विधि की भूल की है। उन्होंने तर्क दिया है कि दावा प्रकरण की कार्यवाही संचालित करने के लिए लागू नियमों के अनुसार, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के ये उपबंध अधिकरण को उपलब्ध नहीं थे और अधिकरण ने याचिकाकर्ता के मामले में उनका कड़ाई से अनुपालन करके अपनी अधिकारिता से बाहर कार्य किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़) मोटर यान नियम, 1994 के नियम 240 का संदर्भ किया है।

मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है और रिट याचिका के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़) मोटर यान नियम, 1994 का नियम 240 दावा अधिकरण द्वारा जांच आयोजित करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उपबंध करता



है। यह व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के कतिपय उपबंधों को लागू करने का उपबंध करता है, स्पष्ट शब्दों में यह कहता है कि अधिनियम या इन नियमों में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के निम्नलिखित उपबंध, अर्थात् जो आदेश V, नियम 9 से 13 और 15 से 20, आदेश IX, आदेश XVIII, नियम 3 से 10, आदेश XVI, नियम 2 से 21, आदेश XVII, आदेश XXI और आदेश XXII, नियम 1 से 3 दावा अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों पर वहां तक लागू होंगे जहां तक वे उन पर लागू हो सकते हों।

इन उपबंधों के पठन मात्र से यह दर्शित होता है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 1 या आदेश 8 नियम 10 के उपबंध इन नियमों द्वारा दावा अधिकरण द्वारा जांच करते समय की जाने वाली कार्यवाहियों पर लागू नहीं किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 04.01.2008 को उपस्थित हुआ था और लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए प्रकरण दिनांक 16.01.2008 हेतु नियत किया गया था, उस तिथि को कतिपय दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, इसलिए पुनः समय मांगा गया और प्रकरण दिनांक 31.01.2008 के लिए नियत किया गया और उस तिथि को भी वाहन स्वामी, यहाँ उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा बीमा पॉलिसी की प्रति प्रस्तुत की गई थी, जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया है और याचिकाकर्ता ने इस आधार पर लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की थी परंतु समय देने से मना कर दिया गया



और अंततः अधिकरण ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 1 पठित नियम 10 के उपबंधों का अवलंब लेते हुए याचिकाकर्ता का लिखित कथन प्रस्तुत करने का अधिकार समाप्त करने की कार्यवाही की।

प्रकरण के वर्तमान परिदृश्य में, मैं बीमा कंपनी को अपना लिखित कथन प्रस्तुत करने का अवसर देना उचित समझता हूँ। अतएव, आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। बीमा कंपनी को आज से 15 दिनों की अवधि के भीतर अपना लिखित कथन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। दावा अधिकरण लिखित कथन को अभिलेख पर लेगा और यदि आवश्यक हो, तो लिखित कथन के आलोक में वाद-प्रश्नों को पुनर्विचित करेगा और विधि के अनुसार दावा याचिका की विनिश्चय की कार्यवाही करेगा।

पूर्वोक्त टिप्पणियों के साथ याचिका अंततः निराकृत की जाती है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है और यदि कोई भी पक्षकार इस आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो वे उपयुक्त निवेदन के साथ इस न्यायालय में आने के लिए स्वतंत्र होगा।

नियमों के अनुसार प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान की जाये।

सही/-  
सुनील कुमार सिन्हा  
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य



प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

